टॉप अप ऋण अनुबंध

यह टॉप अप ऋण अनुबंध ("टॉप अप ऋण अनुबंध") मुख्य तथ्य विवरण ("मुख्य तथ्य विवरण") में उल्लिखित दिनांक और स्थान पर, ऋणी और सह-ऋणी (जिन्हें सामूहिक रूप से "ऋणी" कहा गया है) तथा गारंटर, जिनके नाम मुख्य तथ्य विवरण में दिए गए हैं, के बीच किया गया है। "ऋणी/गारंटर" शब्द, जब तक संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, निम्न को सम्मिलित करेगा: (i) यदि ऋणी/गारंटर कंपनी अधिनियम, 2013 के अर्थ में कोई कंपनी है या सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत गठित सीमित देयता भागीदारी है, तो उसके उत्तराधिकारी और अनुमत हस्तांतरित व्यक्ति; (ii) यदि ऋणी/गारंटर भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के प्रयोजनों के लिए साझेदारी फर्म है, तो समय-समय पर उसके भागीदार तथा उनके संबंधित विधिक उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, विधिक प्रतिनिधि और उत्तराधिकारी; (iii) यदि ऋणी/गारंटर एकल स्वामित्व है, तो एकल स्वामी और उसके/उसकी विधिक उत्तराधिकारी, प्रशासक, निष्पादक और विधिक प्रतिनिधि; (iv) यदि ऋणी/गारंटर व्यक्ति है, तो उसके/उसकी विधिक उत्तराधिकारी, प्रशासक और निष्पादक; (v) यदि ऋणी/गारंटर संयुक्त हिंदू अविभाजित परिवार है, तो कर्ता और परिवार के किसी भी या प्रत्येक वयस्क सदस्य तथा उनके उत्तरजीवी और उनके संबंधित उत्तराधिकारी, निष्पादक और प्रशासक; (vi) यदि ऋणी/गारंटर सोसायटी है, तो सोसायटी के शासी निकाय के सदस्य और उस पर निर्वाचित, नियुक्त या सह-चयनित नए सदस्य; (vii) यदि ऋणी/गारंटर ट्रस्ट है, तो उस समय के ट्रस्टी या ट्रस्टीगण तथा उनके संबंधित विधिक उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और उत्तराधिकारी — प्रथम पक्ष।

AU Small Finance Bank Limited, एक लघु वित्त बैंक जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित है, जिसका पंजीकृत कार्यालय 19-A, Dhuleshwar Garden, Ajmer Road, Jaipur-302001 पर है तथा भारत में मुख्य तथ्य विवरण में उल्लिखित पते पर शाखा कार्यालय है, जिसे "बैंक/ऋणदाता" कहा गया है। यह अभिव्यक्ति, जब तक संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारियों और हस्तांतरित व्यक्तियों को भी सम्मिलित मानी जाएगी — द्वितीय पक्ष।

ऋणी, गारंटर और ऋणदाता को सामूहिक रूप से "पक्ष" तथा अलग-अलग "पक्षकार" कहा गया है।

जहाँ कि:

- मुख्य तथ्य विवरण में निर्दिष्ट दिनांक के मूल ऋण अनुबंध के अंतर्गत, जो पक्षों के बीच किया गया था और जिसे आगे "मूल ऋण अनुबंध" कहा गया है, ऋणदाता ने ऋणी को मूल ऋण अनुबंध में निर्दिष्ट राशि का परिसंपत्ति/वाहन/उपकरण ऋण ("ऋण") प्रदान किया था।

• ऋणी, ऋणदाता से पहले से विद्यमान ऋण के अतिरिक्त, मुख्य तथ्य विवरण में निर्दिष्ट राशि का अतिरिक्त ऋण, जिसे "टॉप अप ऋण" कहा जाएगा, प्राप्त करना चाहता है।

- चूँकि ऋणी, ऋणदाता द्वारा अपने मौजूदा ऋणियों को अतिरिक्त ऋण देने के लिए निर्धारित नीति के मानदंडों और ऋण मानकों को पूरा करता है, इसलिए ऋणदाता ने ऋणी के अनुरोध पर, मुख्य तथ्य विवरण में निर्दिष्ट राशि से अधिक न होने वाला टॉप अप ऋण देने पर सहमति दी है। यह सहमति इस टॉप अप ऋण अनुबंध की शर्तों के अधीन होगी, जो मूल ऋण अनुबंध की शर्तों के अतिरिक्त होंगी। मूल ऋण अनुबंध की वे सभी शर्तें, जो यहाँ विशेष रूप से उल्लिखित नहीं हैं, इस टॉप अप ऋण पर भी लागू होंगी।

अब, अतः यह टॉप अप ऋण अनुबंध निम्नानुसार साक्ष्य देता है:

1. टॉप अप ऋण के लिए ब्याज दर/वार्षिक प्रतिशत दर, पुनर्भुगतान, बकाया मासिक किस्त/किस्त/राशि पर ब्याज, दंडात्मक शुल्क, शुल्क और प्रभार आदि से संबंधित नियम मुख्य तथ्य विवरण और इस टॉप अप ऋण अनुबंध की अनुसूची में उल्लिखित अनुसार लागू होंगे। ऋणी टॉप अप ऋण और उस पर ब्याज/वार्षिक प्रतिशत दर का भुगतान मुख्य तथ्य विवरण के अनुसार समान मासिक किस्तों में करेगा।
2. ऋणी स्वीकार, अभिस्वीकार और पुष्टि करता है कि बैंक, टॉप अप ऋण राशि के वितरण के समय स्वीकृति पत्र/मुख्य तथ्य विवरण और/या टॉप अप ऋण से संबंधित किसी अन्य दस्तावेज़ में विशेष रूप से उल्लिखित शुल्कों को, यदि ऋणी द्वारा वितरण से पहले भुगतान नहीं किया गया है, तो टॉप अप ऋण राशि से अग्रिम रूप से काटने का अधिकारी होगा। बैंक शेष टॉप अप ऋण राशि ऋणी को या ऋणी की ओर से किसी तीसरे पक्ष को वितरित करेगा। ऋणी संपूर्ण टॉप अप ऋण राशि तथा सहमत ब्याज को देय तिथियों/अंतरालों पर चुकाने के लिए उत्तरदायी होगा।

3. इस अनुबंध में किसी भी विपरीत प्रावधान के बावजूद, बैंक किसी भी समय अपने पूर्ण विवेकाधिकार से बिना कोई कारण बताए और ऋणी को पूर्व सूचना दिए बिना टॉप अप ऋण सुविधा को बिना शर्त रद्द कर सकता है। बैंक स्वीकृत राशि में से किसी भी अप्रयुक्त राशि को, पूर्ण या आंशिक रूप से, अपने एकमात्र विवेकाधिकार से घटा, निरस्त, रद्द और/या संशोधित कर सकता है। बैंक टॉप अप ऋण की वितरित राशि को ब्याज, शुल्क, लागत, प्रभार, व्यय तथा इस अनुबंध के अंतर्गत देय अन्य सभी राशियों सहित वापस मांगने का भी अधिकारी होगा।

4. ऋणी स्वीकार करता है कि उसने मूल ऋण अनुबंध की शर्तों के अनुसार परिसंपत्ति/परिसंपत्तियों ("बंधकित परिसंपत्तियाँ") पर दृष्टिबंधक के माध्यम से ऋणदाता के पक्ष में सुरक्षा हित बनाया था। ऋणी आगे सहमत और वचनबद्ध है कि उक्त बंधकित परिसंपत्ति इस टॉप अप ऋण अनुबंध के अंतर्गत भी सुरक्षा के रूप में जारी रहेगी। ऋणदाता के पक्ष में उक्त बंधकित परिसंपत्ति पर दृष्टिबंधक का प्रभार न केवल मूल ऋण अनुबंध के अंतर्गत स्वीकृत ऋण राशि के लिए, बल्कि टॉप अप ऋण के पुनर्भुगतान और ऋणी की सभी देनदारियों के निर्वहन के लिए भी उपलब्ध रहेगा। यह तब तक लागू रहेगा जब तक इस टॉप अप ऋण अनुबंध, मूल ऋण अनुबंध और पक्षों के बीच किसी अन्य अनुबंध/दस्तावेज़ के अंतर्गत सभी वित्तीय/ऋण/अन्य सुविधाएँ पूर्ण रूप से चुका और संतुष्ट नहीं कर दी जातीं। बंधकित परिसंपत्ति को ऋणदाता तभी मुक्त करेगा जब ऋण, टॉप अप ऋण, ब्याज, शुल्क और प्रभार पूर्ण रूप से चुका दिए जाएँ और ऋणी पर अंतिम शेष राशि शून्य हो जाए। मूल ऋण अनुबंध के हस्तांतरण/सुरक्षितीकरण से इस खंड की लागूता प्रभावित नहीं होगी। मूल ऋण अनुबंध के बाद की तिथि वाले चेक, सुरक्षा चेक और राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन आदेश इस टॉप अप ऋण अनुबंध के लिए भी सुरक्षा रहेंगे और ऋणदाता इन्हें पुनर्भुगतान/पूर्व-बंद/फोरक्लोज़र के लिए उपयोग कर सकता है।

5. गारंटर पुष्टि और स्वीकार करता है कि मूल ऋण अनुबंध के अंतर्गत ऋणी के ऋण को सुरक्षित करने के लिए बैंक के पक्ष में दी गई बिना शर्त और अपरिवर्तनीय गारंटी निरंतर गारंटी है और यह इस टॉप अप ऋण अनुबंध के अंतर्गत लिए गए टॉप अप ऋण को भी सुरक्षित करने तक विस्तारित मानी जाएगी। गारंटर की देयता तब तक जारी रहेगी जब तक ऋणी और गारंटर के सभी दायित्व ऋणदाता की संतुष्टि तक पूर्ण न हो जाएँ।

6. इस अनुबंध में निहित शर्तों को छोड़कर, मूल ऋण अनुबंध के सभी अन्य प्रावधान और खंड पूर्ण प्रभाव में रहेंगे और इस टॉप अप ऋण अनुबंध पर उसी प्रकार लागू होंगे मानो वे विशेष रूप से इसमें लिखे गए हों। यदि मूल ऋण अनुबंध और इस टॉप अप ऋण अनुबंध के प्रावधानों में कोई विरोध हो, तो टॉप अप ऋण अनुबंध में किए गए संशोधनों की सीमा को छोड़कर मूल ऋण अनुबंध के प्रावधान लागू होंगे।

7. यह टॉप अप ऋण अनुबंध, मूल ऋण अनुबंध के अतिरिक्त होगा और मुख्य तथ्य विवरण में उल्लिखित दिनांक से पक्षों पर प्रभावी और बाध्यकारी होगा। मुख्य तथ्य विवरण, अनुसूची (शुल्कों की अनुसूची), परिशिष्ट I और II इस अनुबंध का अभिन्न अंग होंगे।

8. पक्षों के बीच यह सहमति है कि परिसंपत्ति के पंजीकरण प्रमाणपत्र में अंकित दृष्टिबंधक के संबंध में अनापत्ति प्रमाणपत्र ऋणदाता द्वारा तभी जारी किया जाएगा जब मूल ऋण अनुबंध और/या इस टॉप अप ऋण अनुबंध और/या पक्षों के बीच किसी अन्य अनुबंध/दस्तावेज़ के अंतर्गत सभी ऋण/वित्तीय/ऋण/अन्य सुविधाएँ तथा उनसे संबंधित ब्याज, शुल्क और प्रभार ऋणदाता की संतुष्टि तक पूर्ण रूप से चुका दिए जाएँ।

9. **इस टॉप अप ऋण अनुबंध में परिभाषित अन्य शब्दों के अतिरिक्त, जहाँ भी प्रयुक्त शब्द संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हों, उनका वही अर्थ होगा जो मूल ऋण अनुबंध में दिया गया है।**

10. ऋणी आगे स्वीकार करता है कि मूल ऋण अनुबंध और/या इस टॉप अप ऋण अनुबंध के अंतर्गत दी गई सुरक्षा, ऋणदाता के साथ किए गए या किए जाने वाले अन्य अनुबंधों के अंतर्गत भी सुरक्षा मानी जाएगी। ऐसी सुरक्षा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक सभी ऋण/सुविधाएँ बैंक की संतुष्टि तक पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जातीं। ऋणी स्पष्ट रूप से सहमत है कि ऋणदाता के साथ किसी अन्य अनुबंध में चूक होने पर वह मूल ऋण अनुबंध और/या टॉप अप ऋण अनुबंध के अंतर्गत भी चूक की घटना मानी जाएगी। ऋणदाता को ऋणी के किसी भी/सभी ऋण/सुविधा खातों में जमा राशि के विरुद्ध समायोजन का अधिकार होगा। ऋणदाता को ऋणी के खातों और जमा राशियों पर सामान्य या विशिष्ट धारणाधिकार तथा समायोजन का अधिकार भी होगा।

11. यदि ऋणी का ऋण खाता लागू कानून के अनुसार लाल-चिह्नित खाते के रूप में वर्गीकृत होता है, तो बैंक को ऋणी के खर्च पर लेखापरीक्षा या किसी अन्य प्रकार की जाँच सीधे या स्वतंत्र तृतीय-पक्ष लेखापरीक्षक के माध्यम से आरंभ करने का अधिकार होगा। ऋणी ऐसी लेखापरीक्षा या जाँच में पूर्ण सहयोग करेगा, जिसमें सभी संबंधित पुस्तकों, अभिलेखों, दस्तावेज़ों, कर्मियों और प्रणालियों तक पहुँच देना शामिल है। यदि ऋणी के असहयोग के कारण लेखापरीक्षा या जाँच अनिर्णायक रहती है या उचित समय से अधिक विलंबित होती है, तो बैंक उपलब्ध सामग्री, अपनी आंतरिक समीक्षा और जाँच के आधार पर ऋणी के ऋण खाते की स्थिति को धोखाधड़ी या अन्य रूप में निर्धारित कर सकता है। ऐसा निर्धारण ऋणी पर बाध्यकारी होगा और लागू कानून के अनुसार उचित विधिक कार्यवाही का कारण बन सकता है।

12. ऋणी किसी ऐसे व्यक्ति को प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति/निदेशक/प्रवर्तक के रूप में शामिल नहीं करेगा जो किसी कंपनी/फर्म/व्यक्तियों के संघ/ट्रस्ट का प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति/निदेशक/भागीदार/सदस्य/ट्रस्टी या ऋणी के कार्यों के प्रबंधन के लिए प्रभारी और उत्तरदायी व्यक्ति हो और जानबूझकर चूककर्ता के रूप में पहचाना गया हो। यदि ऐसा व्यक्ति पाया जाता है, तो ऋणी उसे हटाने के लिए शीघ्र कदम उठाएगा। ऋणी तथा उसके प्रवर्तक, निदेशक, भागीदार, सहयोगी, सहायक कंपनियाँ, संबद्ध कंपनियाँ या समूह कंपनियाँ किसी चूककर्ता सूची में शामिल नहीं हैं और उन्होंने किसी ऋणदाता, जमा/अग्रिम/गारंटी या अन्य वित्तीय सुविधा देने वाले व्यक्ति या किसी नियामक/वैधानिक प्राधिकरण के साथ किसी अनुबंध का उल्लंघन नहीं किया है।

13. वसूली प्रतिनिधियों की नियुक्ति संबंधी खंड: बैंक की निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित बकाया वसूली और सुरक्षा हित के पुनःकब्ज़े की नीति बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह नीति बकाया वसूली और सुरक्षा के पुनःकब्ज़े के संबंध में निष्पक्ष व्यवहार बताती है, जिससे ग्राहक विश्वास और दीर्घकालिक संबंध को बढ़ावा मिलता है। बैंक बकाया वसूली और सुरक्षा के पुनःकब्ज़े के लिए वसूली प्रतिनिधियों की सेवाएँ भी ले सकता है। विस्तृत नीति नीचे दिए गए लिंक पर देखी जा सकती है:

https://www.au.bank.in/content/dam/aubank/in/en/notice-board/notice-board-9/policy-on-collection-of-dues-and-repossession-of-security.pdf

बैंक या किसी तृतीय पक्ष/अधिकृत प्रतिनिधि, जिसमें नियुक्त वसूली प्रतिनिधि भी शामिल हैं, के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, चूक की घटना होने पर बैंक और तृतीय पक्ष/अधिकृत प्रतिनिधि ऋणी और गारंटर द्वारा दिए गए संपर्क विवरण का उपयोग कर ऋणी/गारंटर, उनके अधिकृत हस्ताक्षरी/प्रतिनिधि और परिवार के सदस्यों से संपर्क कर सकते हैं। वे ऋण और ऋणी/गारंटर से संबंधित आवश्यक विवरण भी साझा कर सकते हैं, और ऋणी इस प्रकार के खुलासे के लिए सहमति देता है। इस अनुबंध की शर्तें भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार वसूली नीति की शर्तों के अनुरूप होंगी, जिनमें कब्ज़ा लेने से पहले सूचना अवधि, किन परिस्थितियों में सूचना अवधि छोड़ी जा सकती है, सुरक्षा का कब्ज़ा लेने की प्रक्रिया, संपत्ति की बिक्री/नीलामी से पहले ऋणी और/या गारंटर को पुनर्भुगतान का अंतिम अवसर, ऋणी और/या गारंटर को पुनःकब्ज़ा देने की प्रक्रिया और संपत्ति की बिक्री/नीलामी की प्रक्रिया शामिल हैं।

14. ऋणी और गारंटर स्वीकार करते हैं कि इस टॉप अप ऋण अनुबंध से उत्पन्न किसी भी शिकायत के निवारण के लिए ऋणी/गारंटर बैंक की शिकायत निवारण नीति में निर्धारित व्यवस्था अपना सकते हैं, जो बैंक की वेबसाइट www.au.bank.in पर उपलब्ध है, और/या मुख्य तथ्य विवरण में दिए गए ईमेल/फोन नंबर पर नोडल शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

15. ऋणी/गारंटर सहमत और पुष्टि करते हैं कि बैंक को अपने अधिकारों और दायित्वों को पूर्ण या आंशिक रूप से किसी तृतीय पक्ष को सौंपने, सुरक्षितीकरण करने, नवेशन करने या हस्तांतरित करने का अप्रतिबंधित अधिकार होगा और इसके लिए ऋणी या गारंटर की स्वीकृति आवश्यक नहीं होगी। ऋणी या गारंटर को अपने अधिकार और दायित्व किसी तृतीय पक्ष को हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होगा।

15A. यह टॉप अप ऋण अनुबंध भारत के कानूनों द्वारा शासित होगा। मध्यस्थता के अधीन, Jaipur, Rajasthan के न्यायालयों और अधिकरणों को विशेष अधिकार क्षेत्र होगा। इस अनुबंध से उत्पन्न किसी भी विषय, प्रश्न, मतभेद, विवाद, दावा या उल्लंघन का समाधान मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (समय-समय पर संशोधित) के अंतर्गत मध्यस्थता कार्यवाही द्वारा किया जाएगा। सभी मध्यस्थता कार्यवाहियों का स्थान Jaipur होगा और पक्षों ने मध्यस्थता कार्यवाही के लिए ऑनलाइन माध्यम स्वीकार किया है।

पक्ष आगे सहमत हैं कि मध्यस्थता कार्यवाही इस टॉप अप ऋण अनुबंध की अनुसूची A में उल्लिखित किसी भी मध्यस्थ/ऑनलाइन विवाद समाधान संस्था के तत्वावधान में ऑनलाइन संचालित की जाएगी। यदि ऋणी/दायित्वग्राही ऑनलाइन विवाद समाधान के स्थान पर भौतिक मध्यस्थता कार्यवाही चुनता है, तो उसे ऑनलाइन मध्यस्थता शुरू होने के 7 दिनों के भीतर चयनित संस्था को लिखित सूचना भेजनी होगी। पक्षों ने इन संस्थाओं की अवधारणा, उपनियम, प्रक्रिया और कार्यप्रणाली का मूल्यांकन कर सूची चुनी है और वे उसका पालन करने पर सहमत हैं। चयनित संस्था के सक्षम मध्यस्थ द्वारा दिया गया निर्णय सभी पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

यदि किसी मध्यस्थता कार्यवाही में यह निर्धारित हो कि उपर्युक्त मध्यस्थता प्रावधान लागू नहीं किया जा सकता या विषय-वस्तु भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्गत मध्यस्थता योग्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में Jaipur, India के न्यायालयों और/या अन्य संबंधित मंचों को ऐसे विषयों पर विशेष अधिकार क्षेत्र होगा। प्रत्येक पक्ष उन न्यायालयों में कार्यवाही लाए जाने पर आपत्ति, असुविधाजनक मंच या अधिकार क्षेत्र न होने का दावा करने का अधिकार अपरिवर्तनीय रूप से त्यागता है।

16. निष्पादन: यह अनुबंध अनुसूची I में उल्लिखित निष्पादन तिथि से ऋणियों और गारंटरों पर प्रभावी और बाध्यकारी होगा तथा जब तक संपूर्ण बकाया राशि ऋणदाता की संतुष्टि तक चुका नहीं दी जाती, पूर्ण प्रभाव में रहेगा। यदि इस अनुबंध की अनुसूची I में दिनांक रिक्त है और दस्तावेज़ डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित है, तो निष्पादन तिथि वह होगी जब अनुबंध किसी भी पक्ष द्वारा अंतिम बार डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित किया गया। सुविधा से संबंधित दस्तावेज़ों की निष्पादन तिथि के संबंध में भी यही समझ लागू होगी, जहाँ दस्तावेज़ एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना है।

ऋणी और गारंटर बैंक द्वारा उचित समझे गए किसी भी तरीके से इस अनुबंध और संबंधित दस्तावेज़ों की इलेक्ट्रॉनिक और/या डिजिटल स्टाम्पिंग और/या निष्पादन के लिए अपरिवर्तनीय रूप से सहमत हैं, जिसमें आधार, एक बार उपयोग होने वाला पासवर्ड, जैवमितीय प्रमाणीकरण या यूएसबी टोकन आधारित डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र शामिल हो सकते हैं।

ऋणी और गारंटर बैंक को ऋणी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के आधार विवरण और मुख्य जैवमितीय जानकारी का उपयोग प्रमाणीकरण और सत्यापन के लिए करने हेतु अपरिवर्तनीय रूप से सहमति और अधिकार देते हैं। एक बार उपयोग होने वाला पासवर्ड दर्ज करने और/या उंगली की छाप (जैवमितीय पहचान सत्यापन) देने को ऋणी/गारंटर/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं की स्वैच्छिक सहमति माना जाएगा। ऋणी बैंक को राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से व्यक्तिगत विवरण प्राप्त करने की अनुमति देता है।

ऋणी और गारंटर सहमत हैं कि यह अनुबंध और संबंधित दस्तावेज़ बैंक या बैंक द्वारा नियुक्त विक्रेता के इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल मंच के माध्यम से निष्पादित, डिजिटल रूप से स्टाम्पित और संग्रहीत किए जा सकते हैं। बैंक या ऐसा तृतीय-पक्ष विक्रेता निष्पादन के लिए उपयोग किए गए उपकरण का इंटरनेट प्रोटोकॉल पता, स्थान और लेन-देन की पुष्टि के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग सहित संबंधित डेटा एकत्र कर सकता है। ऋणी और गारंटर सहमत हैं कि अधिकृत हस्ताक्षरी सुविधा के प्रयोजन से किसी इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल मंच पर प्रमाणीकरण, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर कर सकता है। ऋणी और गारंटर अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को अद्यतन और वायरस, खराबी या साइबर खतरों से सुरक्षित रखेंगे। बैंक या कोई सेवा/सॉफ्टवेयर प्रदाता मध्यस्थ, ऋणी/गारंटर के उपकरण, सॉफ्टवेयर, सुविधाओं, तृतीय-पक्ष अनुप्रयोगों या इंटरनेट कनेक्टिविटी की किसी विफलता या दोष के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

17. सूचनाएँ और डिजिटल संचार: इस अनुबंध के अंतर्गत प्रत्येक सूचना, अनुरोध, मांग या अन्य संचार लिखित रूप में होगा और हाथ से, पंजीकृत डाक द्वारा, ईमेल द्वारा, सूचना के लिंक सहित संदेश द्वारा, व्हाट्सऐप द्वारा या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण द्वारा दिया जा सकता है।

ऐसा संचार प्राप्त माना जाएगा: व्यक्तिगत रूप से दिए जाने पर उसी समय; पंजीकृत डाक/कूरियर द्वारा भेजे जाने पर डाक/कूरियर में डालने के 48 घंटे बाद; ईमेल, सूचना के लिंक सहित संदेश, व्हाट्सऐप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण द्वारा भेजे जाने पर प्राप्तकर्ता के अंतिम सूचित इलेक्ट्रॉनिक संपर्क विवरण पर सफलतापूर्वक जारी होने के समय, जैसा प्रणाली-जनित डिलीवरी पुष्टि से प्रमाणित हो, या ऐसी पुष्टि न होने पर प्रेषण के 24 घंटे बाद, यदि प्रेषक को असफल डिलीवरी की सूचना प्राप्त न हो।

ऋणी और गारंटर अपने पते/संचार विवरण में किसी भी परिवर्तन की सूचना ऐसे परिवर्तन के 07 (Seven) दिनों के भीतर बैंक को देंगे। यदि बैंक को ऐसा परिवर्तन प्राप्त नहीं होता है, तो बैंक के अभिलेखों में उपलब्ध मौजूदा पते/संचार विवरण पर भेजी गई कोई भी सूचना, पत्राचार, अनुरोध, मांग या अन्य संचार ऋणी और/या गारंटर को दिया हुआ माना जाएगा। ऋणी और गारंटर बैंक के अभिलेखों में उपलब्ध मौजूदा पते/संचार विवरण पर दी गई किसी भी सूचना या संचार का पालन करने के लिए सहमत हैं।

ऋणी और गारंटर जानते हैं कि ईमेल, फैक्स, संदेश, व्हाट्सऐप, वेबसाइट, ऑनलाइन स्वीकृति आदि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से इस अनुबंध, परिशिष्टों, शर्तों, निर्देशों, स्वीकृतियों और संचार का प्रसारण धोखाधड़ीपूर्ण परिवर्तन, गलत प्रसारण और गोपनीयता की कमी जैसे जोखिमों से युक्त हो सकता है। फिर भी ऋणी और गारंटर इस अनुबंध के अंतर्गत सुविधा और उसके संचालन सहित विभिन्न विषयों पर बैंक से संचार प्राप्त करने और बैंक को संचार प्रदान करने के इच्छुक हैं।

यदि यह प्रश्न उठता है कि कौन-सा संचार प्रदान या प्राप्त किया गया था, तो बैंक द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अभिलेख अंतिम, निर्णायक और बाध्यकारी माने जाएँगे। ऋणी और गारंटर यह सुनिश्चित करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बैंक को भेजा गया संचार उन्हीं द्वारा दिया गया है; इस संबंध में किसी सत्यापन के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। बैंक संचार के पूरे या किसी भाग के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होगा और इसका जोखिम ऋणी और गारंटर का होगा। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त संचार के आधार पर बैंक द्वारा किसी कार्य, कार्य करने से इनकार, कार्य में चूक या कार्य स्थगित करने के परिणामों के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

मुख्य तथ्य विवरण

भाग 1 (ब्याज दर और शुल्क/प्रभार)

1. टॉप अप ऋण अनुबंध के निष्पादन की दिनांक और स्थान: Date: (last digital date), Place:

2. ऋण आवेदन: आवेदन संख्या, दिनांक।
3. मूल ऋण: ऋण खाता संख्या, ऋण राशि, मूल ऋण अनुबंध की दिनांक।
4. आवेदक/ऋणी: नाम, पिता/पति का नाम, पता, मोबाइल नंबर, व्हाट्सऐप मोबाइल नंबर, व्हाट्सऐप संचार [ ] आवश्यक [ ] आवश्यक नहीं, ईमेल आईडी, कार्यालय पता, कार्यालय टेलीफोन नंबर।

5. सह-ऋणी: नाम, पिता/पति का नाम, पता, मोबाइल नंबर, व्हाट्सऐप मोबाइल नंबर, व्हाट्सऐप संचार [ ] आवश्यक [ ] आवश्यक नहीं, ईमेल आईडी, कार्यालय पता, कार्यालय टेलीफोन नंबर।
6. गारंटर: नाम, पिता/पति का नाम, पता, मोबाइल नंबर, व्हाट्सऐप मोबाइल नंबर, व्हाट्सऐप संचार [ ] आवश्यक [ ] आवश्यक नहीं, ईमेल आईडी, कार्यालय पता, कार्यालय टेलीफोन नंबर।
7. ऋणदाता: AU Small Finance Bank Limited, शाखा _____।
8. टॉप अप ऋण विवरण: उत्पाद प्रकार, स्वीकृत टॉप अप ऋण राशि (रुपयों में), कुल ब्याज (टूटी अवधि के ब्याज सहित), कुल देय, अवधि (माह में), शुद्ध वितरित राशि, पुनर्भुगतान अनुसूची। ऋण राशि के वितरण के बाद स्वागत पत्र के साथ मासिक किस्त की तिथियों तथा मूलधन और ब्याज के विभाजन सहित विस्तृत पुनर्भुगतान अनुसूची साझा की जाएगी।
9. टॉप अप ऋण प्रस्ताव/खाता संख्या और ऋण का प्रकार।
10. टॉप अप ऋण का उद्देश्य/अंतिम उपयोग।
11. वितरण अनुसूची: चरणों में वितरण या 100% अग्रिम वितरण। यदि चरणबद्ध है, तो ऋण अनुबंध का संबंधित खंड उल्लेखित किया जाए।
12. ऋण अवधि (वर्ष/माह/दिन)।
13. किस्त विवरण: किस्तों का प्रकार, मासिक/समान आवधिक किस्तों की संख्या, किस्त राशि (₹), स्वीकृति के बाद पुनर्भुगतान की शुरुआत, मासिक किस्त देय तिथि, किस्त आवृत्ति — मासिक, किस्त अवधि, स्थगन अवधि यदि लागू हो।
14. ब्याज दर (%) और प्रकार — स्थिर, परिवर्ती या मिश्रित।
15. ब्याज चक्रवृद्धि की आवधिकता: प्रति वर्ष।
16. ब्याज दर की गणना की विधि: मासिक घटती शेष राशि।
17. परिवर्ती ब्याज दर के मामले में अतिरिक्त जानकारी: संदर्भ मानक, मानक दर, अंतर, अंतिम दर, पुनर्निर्धारण आवधिकता, और 25 आधार अंकों के परिवर्तन का किस्त राशि तथा किस्तों की संख्या पर प्रभाव।
18. शुल्क/प्रभार: विनियमित संस्था को देय और विनियमित संस्था के माध्यम से तृतीय पक्ष को देय; एकमुश्त/आवर्ती; राशि ₹ में या प्रतिशत में। मदें: प्रसंस्करण शुल्क, बीमा शुल्क, मूल्यांकन शुल्क, स्टाम्प शुल्क और अन्य।
19. वार्षिक प्रतिशत दर (%)।
20. आकस्मिक शुल्क: विलंबित भुगतान पर दंडात्मक शुल्क, अन्य दंडात्मक शुल्क, फोरक्लोज़र शुल्क, परिवर्ती से स्थिर या स्थिर से परिवर्ती ऋण में परिवर्तन शुल्क और अन्य शुल्क।
21. **शुल्कों की अनुसूची: नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार।**
22. ऋण वितरण विवरण: वितरण अनुरोध प्रपत्र या ऋणी द्वारा दिए गए किसी अन्य निर्देश के अनुसार।
23. वितरण का माध्यम: नामित खाते में या वितरण अनुरोध प्रपत्र के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक अंतरण माध्यम जैसे NEFT, IMPS, RTGS द्वारा।
24. दंडात्मक शुल्क: प्रत्येक Rs 1000 या उसके किसी भाग पर प्रति दिन Rs 0.65, बकाया मासिक किस्तों/किस्तों/राशि/ब्याज पर, तथा स्वीकृति पत्र/मुख्य तथ्य विवरण/टॉप अप ऋण अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन के दौरान बकाया ऋण राशि पर।
25. बकाया मासिक किस्तों/किस्तों/राशियों/ब्याज पर ब्याज: ऋण की अनुबंधित ब्याज दर पर लगाया जाएगा।
26. पुनर्भुगतान साधन: ECS/NACH, NEFT, बाद की तिथि वाले चेक, RTGS, बैंक में स्थायी निर्देश, और ऋणदाता द्वारा समय-समय पर सुझाया गया अन्य उपयुक्त साधन।
27. बंधकित परिसंपत्तियों का विवरण: निर्माता, मॉडल, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, पंजीकरण नंबर।
28. सुरक्षा या प्रभार निर्माण का माध्यम और प्रभार की प्राथमिकता: परिसंपत्ति का दृष्टिबंधक; बैंक के पक्ष में प्रथम और विशिष्ट दृष्टिबंधक प्रभार।

टॉप अप ऋण अनुबंध

क्रम	विवरण	हिंदी रूपांतरण
2	ऋण अनुबंध का शिकायत निवारण व्यवस्था संबंधी खंड	इस टॉप अप ऋण अनुबंध से उत्पन्न किसी भी शिकायत के निवारण के लिए ऋणी, बैंक की शिकायत निवारण नीति में निर्धारित व्यवस्था अपना सकता है, जो बैंक की वेबसाइट www.au.bank.in पर उपलब्ध

		है, और/या नीचे दिए गए ईमेल/फोन नंबर के अनुसार नोडल शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क कर सकता है।
3	नोडल शिकायत निवारण अधिकारी का फोन नंबर और ईमेल आईडी	नीचे दिए गए स्तरों के अनुसार संपर्क करें।

स्तर 1

माध्यम	संपर्क विवरण
कॉल सेंटर	Call: 1800 1200 1200 Email: customercare@aubank.in फीडबैक/शिकायतें: कृपया www.au.bank.in पर "Contact us" लिंक, इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग देखें।
शाखा	निकटतम शाखा का पता लगाने के लिए कृपया www.au.bank.in देखें।

स्तर 2 — क्षेत्रीय नोडल अधिकारी

यदि 7 दिनों के भीतर ग्राहक की संतुष्टि के अनुसार शिकायत का समाधान नहीं होता है, तो ग्राहक अपनी शिकायत संबंधित क्षेत्रीय नोडल अधिकारी को आगे बढ़ा सकता है। कृपया www.au.bank.in पर "Contact us" देखें और "Details of Principal Nodal Officer and Regional Nodal Officers" लिंक पर क्लिक करें या संबंधित क्षेत्रीय नोडल अधिकारी के विवरण के लिए नीचे दिया गया लिंक देखें।

पृष्ठ 12

क्षेत्रीय नोडल अधिकारी का लिंक:

https://www.au.bank.in/grievance-redressal-mechanism-grievance-redressal-mechanism.pdf

यह लिंक शिकायत निवारण व्यवस्था, क्षेत्रीय नोडल अधिकारियों और संबंधित संपर्क विवरण देखने के लिए है।

स्तर 3 — प्रधान नोडल अधिकारी

यदि शिकायत का समाधान नहीं होता है या ग्राहक 15 कार्य दिवसों के भीतर विभिन्न शिकायत समाधान माध्यमों से संपर्क करने के बाद भी दिए गए समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो शिकायत प्रधान नोडल अधिकारी को नीचे दिए गए पते पर आगे बढ़ाई जा सकती है:

विवरण	जानकारी
नाम	Mr. Pankaj Gupta
पता	CP3–235, Industrial Area, Apparel Park, Mahal Road, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan, PIN - 302022
संपर्क नंबर	0141-6660645
ईमेल	pno@aubank.in

क्रम	विवरण	हिंदी रूपांतरण/उत्तर
4	क्या ऋण वर्तमान में या भविष्य में अन्य REs को हस्तांतरण या सुरक्षितीकरण के अधीन हो सकता है? (हाँ/नहीं)	हाँ
5	सहयोगात्मक ऋण व्यवस्था जैसे सह-ऋण/आउटसोर्सिंग के अंतर्गत अतिरिक्त विवरण	मूल RE का नाम और उसकी वित्तपोषण हिस्सेदारी; साझेदार RE का नाम और उसकी वित्तपोषण हिस्सेदारी; मिश्रित ब्याज दर।
6	डिजिटल ऋणों के मामले में विशिष्ट खुलासे	(i) RE की निदेशक मंडल अनुमोदित नीति के अनुसार कूलिंग ऑफ/लुक-अप अवधि, जिसके दौरान ऋणी से ऋण के पूर्व-भुगतान पर कोई दंड नहीं लिया जाएगा। (ii) आवेदक/ऋणी का ऋण स्रोत करने वाले और वसूली प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने वाले तथा ऋणी से संपर्क करने के लिए अधिकृत LSP का विवरण।

परिशिष्ट B — खुदरा और MSME ऋणों के लिए APR की गणना का उदाहरण

क्रम संख्या	पैरामीटर	विवरण
1	स्वीकृत ऋण राशि (रुपयों में) — KFS नमूना भाग 1 की क्रम संख्या 2	20,000
2	ऋण अवधि (वर्ष/माह/दिन) — KFS नमूना भाग 1 की क्रम संख्या 4	
a)	गैर-समान आवधिक ऋणों में मूलधन भुगतान की किस्तों की संख्या	-
b)	EPI का प्रकार; प्रत्येक EPI की राशि (रुपयों में) और EPI की संख्या, जैसे मासिक किस्तों में EMI की संख्या — KFS भाग 1 की क्रम संख्या 5	मासिक 970 24
c)	पूंजीकृत ब्याज, यदि कोई हो, के भुगतान की किस्तों की संख्या	-
d)	स्वीकृति के बाद पुनर्भुगतान की शुरुआत — KFS भाग 1 की क्रम संख्या 5	30 days
3	ब्याज दर का प्रकार — स्थिर, परिवर्ती या मिश्रित	स्थिर
4	ब्याज दर	15 %
5	स्वीकृति तिथि पर प्रचलित दर के अनुसार ऋण की पूरी अवधि में लगने वाली कुल ब्याज राशि	3,274
6	देय शुल्क/प्रभार	400
A	RE को देय	240
B	RE के माध्यम से तृतीय-पक्ष को देय	160
7	शुद्ध वितरित राशि (1-6)	19,600
8	ऋणी द्वारा देय कुल राशि (1 और 5 का योग)	23,274
9	वार्षिक प्रतिशत दर — प्रभावी वार्षिकीकृत ब्याज दर	17.07%
10	शर्तों के अनुसार वितरण की अनुसूची	विस्तृत अनुसूची प्रदान की जाएगी
11	किस्त और ब्याज भुगतान की देय तिथि	DDMMYYYY

परिशिष्ट C — परिशिष्ट B में दिए गए काल्पनिक ऋण के लिए समान आवधिक किस्त के अंतर्गत उदाहरणात्मक पुनर्भुगतान अनुसूची

किस्त संख्या	बकाया मूलधन (रुपयों में)	मूलधन (रुपयों में)	ब्याज (रुपयों में)	किस्त (रुपयों में)
1	20,000	720	250	970
2	19,280	729	241	970
3	18,552	738	232	970
4	17,814	747	223	970
5	17,067	756	213	970
6	16,310	766	204	970
7	15,544	775	194	970
8	14,769	785	185	970
9	13,984	795	175	970
10	13,189	805	165	970
11	12,384	815	155	970
12	11,569	825	145	970
13	10,744	835	134	970
14	9,909	846	124	970
15	9,063	856	113	970
16	8,206	867	103	970
17	7,339	878	92	970
18	6,461	889	81	970
19	5,572	900	70	970
20	4,672	911	58	970
21	3,761	923	47	970
22	2,838	934	35	970
23	1,904	946	24	970
24	958	958	12	970

शुल्कों की अनुसूची

शुल्क मद	शुल्क मद
दस्तावेज़ीकरण शुल्क	प्रसंस्करण शुल्क (अप्रतिदेय)
स्टाम्पिंग शुल्क	डुप्लिकेट NOC जारी करने का शुल्क
बकाया राशि पर ब्याज	खाता विवरण

पूर्व-भुगतान/फोरक्लोज़र शुल्क	डुप्लिकेट परिशोधन/पुनर्भुगतान अनुसूची
आंशिक फोरक्लोज़र	चेक/SI/ECS अदला-बदली शुल्क
दंडात्मक शुल्क	
वसूली शुल्क/EMI पिकअप शुल्क	फोरक्लोज़र विवरण/खाता विवरण शुल्क
चेक/SI/ACH/ECS वापसी शुल्क	किस्त तिथि में परिवर्तन
संपत्ति/ऋण दस्तावेज़ की डुप्लिकेट प्रति	विंटेज मॉडल शुल्क (यदि वाहन मॉडल 4W में 10 वर्ष से अधिक और 3W में 6 वर्ष से अधिक पुराना हो)

शुल्क मद	शुल्क मद
Used/Refinance Vehicles के लिए मूल्यांकन शुल्क	कानूनी/Sarfaesi/आकस्मिक शुल्क
दृष्टिबंधक हटाए बिना विशेष NOC	पुनःकब्ज़ा शुल्क
टेली-कलेक्शन शुल्क	नकद वसूली शुल्क (केवल पूर्व-भुगतान/फोरक्लोज़र के समय)
चेक/वितरण/ऋण रद्दीकरण	

- उपरोक्त सभी शुल्क और प्रभार समय-समय पर बैंक के विवेकानुसार बदल सकते हैं। शुल्कों में परिवर्तन बैंक की वेबसाइट (www.au.bank.in) पर अपडेट किए जाते हैं।
- लेवी की तिथि पर लागू और बैंक की शुल्क अनुसूची में प्रदर्शित शुल्क लागू और बाध्यकारी होंगे।
- उपरोक्त सभी शुल्क/प्रभार सभी वैधानिक और सरकारी करों से अलग हैं।
- नोट: GST और अन्य सरकारी कर प्रचलित दर के अनुसार शुल्कों और प्रभारों के अतिरिक्त लगाए जाएँगे।

अनुसूची A

क्रम	विवरण	हिंदी रूपांतरण/जानकारी
1	न्यायालय/अधिकरण के पक्ष में विशेष अधिकार क्षेत्र	Jaipur
2	मध्यस्थता/मध्यस्थ/सुलह द्वारा विवाद समाधान के लिए मध्यस्थ संस्थानों/ऑनलाइन विवाद समाधान मंचों की सूची	Name: CLRMDR Address: D-871 GROUND FLOOR NEW FRIENDS COLONY NEW DELHI - 110025 Contact Details: 9717012845 Emails ID:- info@clrmdr.com Name: Resolvere Address: D-871 SECOND FLOOR NEW FRIENDS COLONY NEW DELHI -110025 Contact Details: 011-45131430 Emails ID:- resolvere.info@gmail.com Name: Easy Solution Address: G-18/41, Ground Floor, Sector-15, Rohini, New Delhi-110089 Contact Details: 9212710624 MAIL ID: DJRBCLEGAL18@YAHOO.COM Name: SYNERGY ARBITRATION HUB PRIVATE LIMITED Address: C-17, L.G.F, Friends Colony (East), New Delhi-110065 Contact Details: 9999964750 Email ID- admin@synergyarbitration.com Name: Nyay 24/7 (Truth Beat Ventures Private Limited) Address: D-126, 2nd Floor, Jan Path, Shyam Nagar, Above Yes Bank, Jaipur, Rajasthan, 302019 Contact Number: 7738357454 Email id: atul.mathur@nyay247.com

क्रम	विवरण	हिंदी रूपांतरण/जानकारी
3	मध्यस्थता का स्थान	यदि कार्यवाही भौतिक रूप से आयोजित होती है तो Jaipur मध्यस्थता का स्थान/वेन्यू होगा। हाइब्रिड और ऑनलाइन विवाद समाधान कार्यवाही के मामले में Jaipur को मध्यस्थता का स्थान माना जाएगा।
4	मध्यस्थता कार्यवाही की पसंदीदा भाषा	अंग्रेज़ी
5	ऑनलाइन मध्यस्थता/मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन के लिए ऋणी/गारंटर के समन्वय विवरण	ऋणी, सह-ऋणी (1), सह-ऋणी (2), गारंटर (1), गारंटर (2): पंजीकृत मोबाइल नंबर, पंजीकृत WhatsApp नंबर और पंजीकृत ईमेल आईडी।

नोट: ऋणी और अन्य दायित्वग्राही, यदि कोई हों, बैंक को पंजीकृत मोबाइल नंबर, पंजीकृत WhatsApp नंबर और पंजीकृत ईमेल आईडी में किसी भी परिवर्तन की लिखित सूचना देने का वचन देते हैं। यदि ऐसा परिवर्तन लिखित रूप में बैंक को सूचित नहीं किया जाता है, तो ऋणदाता के अभिलेखों में उपलब्ध संपर्क विवरण संबंधित पक्षों के वैध समन्वय विवरण माने जाएँगे। ऐसे समन्वय विवरण पर भेजा गया कोई भी संचार वैध सेवा माना जाएगा, भले ही डिलीवरी स्थिति या रिपोर्ट विपरीत/विफल हो। ऐसे समन्वय विवरण का उपयोग कर आयोजित कार्यवाही वैध होगी और उसके परिणामस्वरूप दिया गया आदेश/निर्णय पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

परिशिष्ट I — सामान्य धारणाधिकार और समायोजन पत्र

प्रति, AU Small Finance Bank Limited, _____, _____, _____ ("ऋणदाता/बैंक")

ऋणदाता के पक्ष में जमा राशियों/क्रेडिट शेषों/मार्जिन भुगतानों/धनराशियों के संबंध में सामान्य धारणाधिकार, समायोजन, तथा संपत्तियों, प्रतिभूतियों, परिसंपत्तियों, प्राप्य राशियों और सुरक्षा हितों ("सुरक्षा") के क्रॉस-कोलैटरलाइजेशन/क्रॉस-लिंकिंग का पत्र। यह पत्र ऋणदाता द्वारा अधोहस्ताक्षरी को Rs. _____ (Rupees _____) की ऋण/सुविधा ("सुविधा") उपलब्ध कराने या जारी रखने के प्रतिफल में, स्वीकृति पत्र संदर्भ _____ दिनांक _____ की शर्तों के अनुसार दिया गया है।

अधोहस्ताक्षरी यह स्वीकार, सहमत और वचन देता/देती है कि:

- बैंक किसी भी समय अधोहस्ताक्षरी के किसी भी या सभी मौजूदा खातों को जोड़ या समेकित कर सकता है और ऐसे खातों में जमा किसी भी राशि को बैंक के प्रति अधोहस्ताक्षरी की किसी भी देयता की संतुष्टि के लिए समायोजित या स्थानांतरित कर सकता है, चाहे देयता वर्तमान या भविष्य की, वास्तविक या आकस्मिक, प्राथमिक या संपार्श्विक, अलग-अलग या संयुक्त हो।
- अधोहस्ताक्षरी ऐसी राशियों को न तो निकालेगा और न निकालने का अधिकारी होगा। वह कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे बैंक के ऐसी राशियों को बनाए रखने या उन्हें भुगतान/निर्वहन/संतुष्टि हेतु लागू करने के अधिकार में विलंब या हानि हो।
- अधोहस्ताक्षरी सुरक्षा पर, बैंक के पक्ष में पहले से बने भार को छोड़कर, बंधक, प्रभार, गिरवी, दृष्टिबंधक, भार, हस्तांतरण या किसी तृतीय-पक्ष अधिकार का निर्माण नहीं करेगा।
- बैंक अपने पूर्ण विवेकाधिकार से किसी भी समय अधोहस्ताक्षरी के अन्य ऋणदाताओं को यहाँ दिए गए नियमों और वचनों की सूचना दे सकता है।

अनुबंध और/या ऋण/सुविधा से संबंधित किसी अन्य दस्तावेज़ में निहित किसी विपरीत बात के बावजूद, अधोहस्ताक्षरी या किसी अन्य दायित्वग्राही द्वारा वर्तमान लेन-देन दस्तावेज़ों के अंतर्गत बनाई गई सुरक्षा निम्न के लिए भी निरंतर सुरक्षा होगी:

- ऋणदाता से पहले ली गई या भविष्य में ली जाने वाली सुविधाओं के कारण अधोहस्ताक्षरी से देय सभी अन्य धनराशियाँ।
- अधोहस्ताक्षरी द्वारा समय-समय पर घोषित समूह कंपनियों/संबद्ध/सहयोगी संस्थाओं को दी गई या जारी रखी गई सुविधा।
- किसी अन्य लेन-देन दस्तावेज़ के अंतर्गत ऋणदाता के पक्ष में बनाई गई सुरक्षा, वर्तमान सुविधा और पहले से दी गई या भविष्य में दी जाने वाली सुविधाओं के लिए निरंतर सुरक्षा रहेगी और जब तक सभी सुविधाएँ पूर्ण रूप से चुकाकर ऋणदाता की संतुष्टि तक समाप्त नहीं हो जातीं, मुक्त नहीं होगी।
- ऋणदाता को किसी भी वर्तमान, पूर्व या भविष्य के लेन-देन दस्तावेज़ के अंतर्गत बनाई गई सुरक्षा, धनराशि, जमा, परिसंपत्तियों और अन्य संपत्तियों पर 07 दिनों की पूर्व सूचना देकर धारणाधिकार और समायोजन का अधिकार होगा।
- ऋणदाता अपने विवेक से, अधोहस्ताक्षरी द्वारा ली गई किसी भी अन्य ऋण/सुविधा/क्रेडिट सुविधा के बंद होने तक अनापत्ति प्रमाणपत्र/नो ड्यूज़ प्रमाणपत्र जारी करने या सुरक्षा मुक्त करने को रोक सकता है।

अनुबंध के अंतर्गत बनाई गई सुरक्षा और अधोहस्ताक्षरी की देयता, स्वैच्छिक या अन्यथा winding up, नाम परिवर्तन, विलय, समामेलन, पुनर्गठन, प्रबंधन के अधिग्रहण, विघटन या राष्ट्रीयकरण से प्रभावित, क्षीण या समाप्त नहीं होगी।

यदि अधोहस्ताक्षरी ऋणदाता के साथ किसी अन्य अनुबंध के अंतर्गत चूक करता है, जिसके अंतर्गत वह वित्तीय/क्रेडिट सुविधा ले रहा है, तो ऐसी घटना वर्तमान लेन-देन दस्तावेज़ों के अंतर्गत भी चूक की घटना मानी जाएगी और ऋणदाता अनुबंध के अंतर्गत अपने सभी अधिकारों, जिनमें समायोजन का अधिकार शामिल है, का प्रयोग कर सकेगा।

पृष्ठ 20 का हिंदी रूपांतरण

यहाँ दी गई कोई भी बात बैंक के किसी सामान्य धारणाधिकार, समायोजन या कानून अथवा अन्यथा उपलब्ध किसी अन्य अधिकार या उपचार के संचालन को सीमित नहीं करेगी। यह सामान्य धारणाधिकार, समायोजन और क्रॉस-कोलैटरलाइजेशन पत्र बैंक द्वारा वर्तमान या भविष्य में धारण किए गए किसी भी धारणाधिकार, गारंटी, बंधक, दृष्टिबंधक या सुरक्षा के अतिरिक्त और बिना प्रतिकूल प्रभाव के होगा।

यह सामान्य धारणाधिकार, समायोजन और क्रॉस-कोलैटरलाइजेशन पत्र भारत के कानूनों द्वारा शासित और उन्हीं के अनुसार व्याख्यायित होगा तथा अधोहस्ताक्षरी Jaipur के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को अपरिवर्तनीय रूप से स्वीकार करता है।

ऋणी और/या गारंटर स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि यहाँ निहित कोई भी बात ऋणदाता के किसी अन्य दायित्व, वर्तमान या भविष्य की सुरक्षा, गारंटी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई बाध्यता के संबंध में अधिकारों और उपचारों को प्रभावित नहीं करेगी।

नाम / हस्ताक्षर / दिनांक / स्थान — ऋणी, सह-ऋणी, सह-ऋणी, गारंटर

परिशिष्ट II — अवधि ऋण मामलों में SMA-NPA वर्गीकरण और NPA उन्नयन का उदाहरण

IRAC परिपत्र संदर्भ पैरा संख्या 2.1.2 (i): अवधि ऋण के संबंध में ब्याज और/या मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि तक बकाया रहती है।

उदाहरण विवरण: बकाया तिथि के आधार पर अवधि ऋण मामलों का SMA और NPA वर्गीकरण। यदि ऋण खाते की देय तिथि 31-Mar-21 है और उस दिन दिनांत प्रक्रिया चलने से पहले पूर्ण देय राशि प्राप्त नहीं होती है, तो बकाया तिथि 31-Mar-21 होगी। यदि खाता लगातार बकाया रहता है, तो 30 दिन पूर्ण होने पर 30-Apr-21 को SMA-1, 60 दिन पूर्ण होने पर 30-May-21 को SMA-2 और आगे बकाया रहने पर 29-Jun-21 को NPA वर्गीकृत होगा।

दिनांक	DPD	वर्गीकरण
31-Mar-21 (देय तिथि)	1 / बकाया	SMA-0
30-Apr-21	31 / 30 दिनों से अधिक / 30 दिन पूर्ण	SMA-1
30-May-21	61 / 60 दिनों से अधिक / 60 दिन पूर्ण	SMA-2
29-Jun-21	91 / 90 दिनों से अधिक / 90 दिन पूर्ण	NPA

IRAC परिपत्र संदर्भ पैरा संख्या 4.2.5: यदि NPA के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों में ब्याज और मूलधन के बकाए ऋणी द्वारा चुका दिए जाते हैं, तो खाते को गैर-निष्पादित नहीं माना जाना चाहिए और उसे "मानक" खाते के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

उदाहरण विवरण — NPA खाते का उन्नयन: NPA के रूप में वर्गीकृत ऋण खाते को तभी "मानक" परिसंपत्ति के रूप में उन्नत किया जा सकता है जब ऋणी द्वारा ब्याज और मूलधन के सभी बकाए चुका दिए जाएँ।

दिनांक	देय राशि	DPD	वर्गीकरण
31-Mar-21 (देय तिथि)	10000	1 / बकाया	SMA-0
30-Apr-21	10000	31 / 30 दिनों से अधिक / 30 दिन पूर्ण	SMA-1
30-May-21		61 / 60 दिनों से अधिक / 60 दिन पूर्ण	SMA-2
31-May-21	10000		
29-Jun-21		91 / 90 दिनों से अधिक / 90 दिन पूर्ण	NPA
30-Jun-21	10000		
1-Jul-21			उन्नयन*

*खाते को मानक श्रेणी में उन्नत तब किया जा सकता है जब Rs. 40000 की कुल लंबित देय राशि ऋणी से बैंक को प्राप्त हो जाए।

IRAC परिपत्र संदर्भ पैरा संख्या 4.2.7 (c): परिसंपत्ति वर्गीकरण ऋणी-वार होगा, सुविधा-वार नहीं। यदि ग्राहक की कोई भी सुविधा दिनांत प्रक्रिया पर NPA वर्गीकृत होती है, तो उसी दिन ग्राहक की सभी सुविधाएँ NPA वर्गीकृत की जानी होंगी।

टॉप अप ऋण अनुबंध

ऋणी-वार आधार पर NPA वर्गीकरण का उदाहरण

ग्राहक आईडी	सुविधा का नाम	दिनांक	NPA कारण
A	Term Loan 1	29-Jun-21	ऊपर दिए गए उदाहरण के अनुसार NPA वर्गीकृत
A	Term Loan 2	29-Jun-21	ग्राहक A का Term Loan 1 NPA वर्गीकृत होने के कारण NPA वर्गीकृत
A	Cash Credit / Overdraft	29-Jun-21	ग्राहक A का Term Loan 1 NPA वर्गीकृत होने के कारण NPA वर्गीकृत

IRAC परिपत्र संदर्भ पैरा संख्या 4.2.5: यदि NPA के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों में ब्याज और मूलधन के बकाए ऋणी द्वारा चुका दिए जाते हैं, तो खाते को गैर-निष्पादित नहीं माना जाना चाहिए और उसे "मानक" खाते के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

उदाहरण विवरण — NPA खाते का उन्नयन: NPA के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों को उन्नत किया जा सकता है यदि ऋणी की सभी सुविधाओं में ब्याज और मूलधन के बकाए चुका दिए जाएँ।

ग्राहक आईडी	सुविधा का नाम	दिनांक	NPA कारण
A	Term Loan 1	29-Jun-21	ऊपर दिए गए उदाहरण के अनुसार NPA वर्गीकृत
A	Term Loan 2	29-Jun-21	ग्राहक A का Term Loan 1 NPA वर्गीकृत होने के कारण NPA वर्गीकृत
A	Cash Credit / Overdraft	29-Jun-21	ग्राहक A का Term Loan 1 NPA वर्गीकृत होने के कारण NPA वर्गीकृत
A	Term Loan 1	15-Jul-21	उन्नयन*
A	Term Loan 2	15-Jul-21	उन्नयन*
A	Cash Credit / Overdraft	15-Jul-21	उन्नयन*

*ऋणी के खातों को मानक श्रेणी में तब उन्नत किया जा सकता है जब ऋणी की सभी सुविधाओं में ब्याज और मूलधन के बकाए चुका दिए जाएँ।

साक्ष्य में, पक्षों ने इस टॉप अप ऋण अनुबंध पर मुख्य तथ्य विवरण में उल्लिखित दिन, माह और वर्ष को हस्ताक्षर किए हैं।

ऋणी के लिए	हस्ताक्षर
उपरोक्त उल्लिखित ऋणी/अधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षरित और सुपुर्द _____ नाम	_____ (हस्ताक्षर)
सह-ऋणी के लिए	हस्ताक्षर
उपरोक्त उल्लिखित सह-ऋणी/अधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षरित और सुपुर्द _____ नाम	_____ (हस्ताक्षर)

सह-ऋणी हस्ताक्षर विवरण की निरंतरता

विवरण	हस्ताक्षर
_____ नाम	_____ (हस्ताक्षर)

गारंटर के लिए	हस्ताक्षर
उपरोक्त उल्लिखित गारंटर/अधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षरित और सुपुर्द _____ नाम	_____ (हस्ताक्षर)
AU Small Finance Bank Limited के लिए	हस्ताक्षर
इसके अधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षरित और सुपुर्द _____ (अधिकृत हस्ताक्षरी का नाम)	_____ (हस्ताक्षर)

अंतिम उपयोग घोषणा

श्रेणी: कृषि ऋण / व्यवसाय ऋण

दिनांक:

आवेदक का नाम:

स्थान:

आवेदित ऋण राशि: Rs.

विषय: घोषणा

प्रति,

प्रबंधक

AU SMALL FINANCE BANK LIMITED

विषय: अंतिम उपयोग के संबंध में घोषणा

महोदया/प्रिय महोदय,

मैं/हम घोषणा और पुष्टि करता/करते हूँ/हैं कि उपरोक्त ऋण का उपयोग मेरे/हमारे द्वारा केवल _____ के उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

मैं/हम जानते हैं कि इसी प्रतिनिधित्व, घोषणा और पुष्टि के आधार पर बैंक ने उपरोक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु मेरे/हमारे आवेदन पर विचार करने पर सहमति दी है।

धन्यवाद

भवदीय,

ऋणी के लिए	हस्ताक्षर
उपरोक्त उल्लिखित ऋणी/अधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षरित और सुपुर्द _____ नाम	_____ (हस्ताक्षर)
सह-ऋणी के लिए	हस्ताक्षर
उपरोक्त उल्लिखित सह-ऋणी/अधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षरित और सुपुर्द _____ नाम	_____ (हस्ताक्षर)

Disclaimer : - Please note that above mentioned credit facility agreement, terms & conditions, key fact statement and other associated documents are translated from the original document in English using technology for customer's Convenience and to improve transparency in communication. which can have few aberrations, brevity and grammatical errors hence for any legal purposes English version of document (appended) will be referred.